



प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-29 मई, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (50 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-80/15(10)/संख्या-2/2026-27, दिनांक-04.05.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक-30.03.2026 द्वारा योजनान्तर्गत एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष वेतन मद (50:50) में राज्यांश सम्मिलित करते हुए ₹0-8.34 लाख तथा अन्य मदों (100:00) में ₹0-2.00 लाख इस प्रकार कुल ₹0-10.34 लाख (रुपये दस लाख चौतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 9978-0101-पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.) 9978-UP260 के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण के अन्तर्गत अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
- (2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
 - (7) ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
 - (8) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
 - (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
 - (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,34,000 (रुपये दस लाख चौतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001130101** पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्ध सांख्यिकी अध्ययन तथा शोध कार्य (के.50/रा.50-के.) **मानक मद 61** केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-10-X-2026-27, दिनांक-26.05.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

पू0सं0-126/2026/1062(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(53)/02-1355132, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक (एएचएस), भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालय, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग (एएचएस डिवीजन), चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ रोड, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।